न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 44 / 2020

इरसाद पुत्र जुहुरू जाति मेव निवासी ग्राम रायवका तहसील पहाडी

प्रार्थी

बनाम

1. जुहुरू पुत्र कमल खाँ
2. मुनफेद पुत्र जुहुरू
3. अजरूद्दीन पुत्र जुहुरू
4. सैकुल पुत्र जुहुरू जाति मेव निवासी ग्राम रायवका तहसील पहाडी
5. भूमिधारक श्रीमान तहसीलदार साहब पहाडी (भरतपुर)
6. उपपंजीयक महोदय, पहाडी तहसील पहाडी (भरतपुर)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

1. श्री मौहम्मद खाँ वकील प्रार्थी
2. श्री प्रमोद शर्मा वकील अप्रार्थीगण

दिनांक :– 23.02.2021

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 153 / 0.22, 154 / 0.01, 211 / 0.16, 259 / 0.28, 129 / 0.18, 109 / 0.23, 250 / 0.04, 254 / 0.03,264 / 0.16, 3 / 0.25, 5 / 0.19, 85 / 0.02, 10 / 0.32,107 / 0.32, 16 / 0.5, 117 / 0.30, 121 / 0.19, 156 / 0.17, 157 / 0. 32, 203 / 0.22, 205 / 0.32, 207 / 0.21, 210 / 0.23, 242 / 0.10, 248 / 0.39, 255 / 0.33, 257 / 0.15, 263 / 0.17, 264 / 0.04, 84 / 0.73 बांके ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

रायवका व खसरा नम्बर 118/1.21, 185/0.65, 193/0.48, 194/0.07 बांके ग्राम सहडूगर तहसील पहाडी में स्थित है। यह कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण तथा तरतीवी प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है एवं आराजी मुतदाविया सायल एवं गैरसायलान की संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पत्ति है । अप्राथी नं0 1 के साथ प्रार्थी , अप्रार्थीगण संख्या 2,3,4 व तरतवी प्रतिवादी को को अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी , अप्रार्थीगण व तरतीवी प्रतिवादी सम्मलित रूप से काश्त करते चले आ रहे है।आराजी मुतदाविया का अप्रार्थी संख्या 1 ने विधिवत विभाजन नहीं किया है। अप्रार्थी संख्या 1,2,3,4 के दिल में प्रार्थी एवं तरतीवी प्रतिवादी की पैतृक आराजी में विरासतन हिस्सा की बाबत बदयान्ति आ गई है जिसके सवव आये दिन अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के साथ झगडा फिसाद करते रहते है तथा अप्रार्थीगण ने प्रार्थी व तरतीवी प्रतिवादी को हिस्सा देने से साफ इन्कार कर दिया विधि वजह प्रार्थी मुताबिक विरासतन अधिकार के जरिये अदालत अप्रार्थीगण के साथ वाहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित करा कर राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक हिस्सा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अपने नाम इन्द्राज कराकर अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजी का विभाजन करा कर राजस्व रिकॉर्ड में अपने हिस्सा के अलग–अलग खाता एवं लगान कायम करा पाने का अधिकारी हैं । यह है कि अप्रार्थीगण का प्रार्थी की एवं तरतीवी प्रतिवादी के हिस्से की आराजी से कोई संबंध नहीं रहा है और ना ही इस वक्त है लेकिन अप्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड में सम्पूर्ण आराजी मुतदाविया अप्रार्थी संख्या 1 के नाम हो रहे इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाने की गरज से प्रार्थी एवं तरतीवी प्रतिवादी को उनके हिस्से से बेदखल करना चाहते है और अप्रार्थी संख्या 2,3,4 अप्रार्थी संख्या 1 से आराजी मुतदाविया के सम्पूर्ण हिस्से एवं रकबे को खुर्द–बुर्द कराने की फिराक में है और रहन, वय मुन्तकिल करना चाहते है जिसकी दिनांक 18.06.2020 को ऐलानिया धमकी दी है। कि हम आराजी मुतदाविया के सम्पूर्ण हिस्से को रहन, वय मुन्तकिल करके रहूँगा एवं प्रार्थी एवं तरतीवी प्रतिवादी के हिस्से से बेदखल करके रहेगे अगर गैरसायल अपने धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपरमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरे नकद से नहीं हो सकेगी विधि वजह प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है। प्राईमा फैसाई व सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति मुझ प्रार्थी के पक्ष में प्रकट होती है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये डिक्री हुक्म

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

इम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रार्थी एवं तरतीवी प्रतिवादी को उनके हिस्से की आराजी से बेदखल नहीं करे कब्जा नाजायज नहीं करे, रहन, वय, मुन्तकिल नहीं करे, राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें एवं ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे प्रार्थी एवं तरतीवी प्रतिवादी जायल हो।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आये जबाब इस आशय का पेश किया कि आराजी मुतदाविया पैतृक आराजी नहीं है बल्कि अप्रार्थीगण द्वारा स्व अर्जित की गई है । प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 का पुत्र है व 2 लगायत 5 का भाई है। अप्रार्थी वृद्ध है तथा उक्त आराजी से अपना जीवन यापन करता है । अप्रार्थी द्वारा अपने सभी बच्चों के लालन पालन व शादी– विवाह किया जिस कारण प्रार्थी के ऊपर बैंक का कर्जा है जिसको चुकाने के उद्देश्य से अप्रार्थी आराजी मुतदाविया पर कृषि कर रहा है पिता के जीवन काल में पुत्रों का कानून नहीं बनता है जबकि उक्त आराजी पैतृक नहीं है । प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया ।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण में विवादित आराजी ग्राम रायवका व सहडूंगर में स्थित है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड संवंत 2075–78 आराजी अप्रार्थी संख्या 1 की रिकार्डेड खातेदारी की आराजी है । प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 अप्रार्थी संख्या 1 के पुत्र है। प्रार्थी ने आराजी को पैतृक आराजी बताया है। प्रार्थी ने आराजी के पैतृक होने के सम्बन्ध में कोई भी राजस्व रिकॉर्ड संलग्न नहीं किया है। पंरन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने आराजी को स्वं अर्जित होना बताया है एवं इस संबंध में नकल रजिस्टर्ड बयनामा भी प्रस्तुत किये है। अतः प्रथम दृष्टया स्वं अर्जित सम्पत्ति के संबंध में प्रार्थी के पिता के जीवन काल में अनुतोष पाने का हकदार नहीं है। प्रार्थी के हक हकूक मूल दावे में ही साक्ष्य एवं तनकी के आधार पर निर्णित होगे। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजीर 2017 (2) आर0आर0टी0 907 कमलेश बनाम रणजीत सिंह प्रकरण पर बखूबी चस्पा होती है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थीगण में निहित है।
2. **सुविधा सन्तुलन** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह निर्धारित हो चुका है कि आराजी प्रथम दृष्टया स्वं अर्जित है एवं प्रार्थी के हक हकूक मूल

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

दावे में ही निर्णित होगे। अगर अप्रार्थी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 को भी भारी नुकसान होगा। क्योंकि उनका जीवन यापन भी अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि से ही होता है। अतः असुविधा भी प्रार्थी की तुलना में अप्रार्थीगण को होगी।

3. **अपूरणीय क्षति :–** प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थीगण में नियत है। अतः अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को ही होगी।

प्रथम दृष्टया प्रकरण , सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी की तुलना में अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट खारिज किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी टी0आई0 दिनांक 23.06.2020 को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर).